NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 05-02-2026

विषय सूची

गैर-अधिसूचित जनजातियों की संवैधानिक मान्यता और पृथक जनगणना गणना की मांग

विकास-उन्मुख राजकोषीय समेकन का स्तंभ के रूप में सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश

रासायनिक उद्यान

भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को सुदृढ़ करना

संक्षिप्त समाचार

लेक उर्मिया

रफ़ा सीमा

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त

FORGE पहल

एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (APA)

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)

सारस क्रेन जनगणना डेटा

अभ्यास 'खंजर'

भारत टैक्सी

गैर-अधिसूचित जनजातियों की संवैधानिक मान्यता और पृथक जनगणना गणना की मांग

संदर्भ

- भारत भर में गैर-अधिसूचित जनजातियाँ (DNTs), घुमंतू जनजातियाँ (NTs), और अर्ध-घुमंतू जनजातियाँ (SNTs) 2027 की जाति जनगणना में एक पृथक स्तंभ तथा एक विशिष्ट अनुसूची के माध्यम से संवैधानिक मान्यता की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से राजनीतिक वर्गीकरण में त्रुटियाँ और कल्याणकारी लाभों से बहिष्करण उन्हें प्रभावित कर रहा है।

घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और गैर-अधिसूचित जनजातियाँ (NTs, SNTs, और DNTs)

- घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदाय वे हैं जो एक स्थान पर स्थायी रूप से न रहकर निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं।
- 'गैर-अधिसूचित जनजातियाँ' उन सभी समुदायों को संदर्भित करती हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा 1871 से 1947 के बीच लागू किए गए *क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट* के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।
  - इन अधिनियमों को सरकार ने 1952 में निरस्त कर दिया और इन समुदायों को "गैर-अधिसूचित" घोषित किया गया। इनमें से कुछ समुदाय घुमंतू भी थे।
  - अधिकांश DNTs अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणियों में फैले हुए हैं, किंतु कुछ DNTs इनमें से किसी भी श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं।

भारत में स्थिति

- अनुमान है कि दक्षिण एशिया में विश्व की सबसे बड़ी घुमंतू जनसंख्या है।
- भारत में लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या गैर-अधिसूचित और घुमंतू है।
  - जहाँ गैर-अधिसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 150 है, वहीं घुमंतू जनजातियों की जनसंख्या लगभग 500 विभिन्न समुदायों से मिलकर बनी है।
- गैर-अधिसूचित जनजातियाँ देश के विभिन्न राज्यों में लगभग स्थायी रूप से बस चुकी हैं, जबकि घुमंतू समुदाय अपने पारंपरिक व्यवसायों की खोज में अब भी मुख्यतः घुमंतू जीवन जीते हैं।

NTs, SNTs और DNTs द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **मान्यता और दस्तावेज़ों का अभाव:** गैर-अधिसूचित समुदायों के पास नागरिकता संबंधी दस्तावेज़ों का अभाव है, जिससे उनकी पहचान अदृश्य हो जाती है और उन्हें सरकारी लाभ, संवैधानिक अधिकार तथा नागरिकता अधिकार प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
- **सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व:** इन समुदायों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव है, जिससे उनकी चिंताओं को व्यक्त करना और अपने अधिकारों की वकालत करना कठिन हो जाता है।
- **सामाजिक कलंक और भेदभाव:** NTs, SNTs और DNTs को प्रायः उनके ऐतिहासिक गैर-अधिसूचित दर्जे और विशिष्ट जीवनशैली के कारण भेदभाव और सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है।
- **आर्थिक हाशियाकरण:** संसाधनों, बाज़ारों और रोजगार अवसरों तक पहुँच के अभाव से इन समुदायों का आर्थिक हाशियाकरण होता है।
- **शैक्षिक वंचना:** इन जनजातियों के लिए शैक्षिक अवसर सीमित हैं, जिससे उच्च निरक्षरता दर बनी रहती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- इदाते आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 2019 में गैर-अधिसूचित, अर्ध-घुमंतू और घुमंतू जनजातियों (DWBDNCs) के लिए विकास एवं कल्याण बोर्ड का गठन किया।
- **गैर-अधिसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजना (SEED):** यह योजना 2022 में गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण हेतु प्रारंभ की गई। इसके घटक हैं:
  - DNT अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग प्रदान करना;
  - उन्हें स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना;
  - सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को प्रोत्साहित करना; तथा

- इन समुदायों के सदस्यों को आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

इदाते आयोग

- 2014 में गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भिकु रामजी इदाते थे। इसका कार्यकाल तीन वर्ष का था।
- आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें दीं:
  - NTs, SNTs और DNTs द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों की पहचान करना, जो *क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871* और बाद में *हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट, 1952* द्वारा लगाए गए कलंक के कारण उत्पन्न हुई, तथा बाद वाले अधिनियम के भेदभावपूर्ण प्रावधानों में संशोधन का मार्ग निकालना।
  - DNTs/NTs/SNTs को SC/ST/OBC में सम्मिलित न करना और इनके लिए विशिष्ट नीतियों का निर्माण करना।
  - भारत में घुमंतू, अर्ध-घुमंतू और गैर-अधिसूचित जनजातियों के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना करना।
  - शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा और कानूनी दस्तावेज़ जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुँच में इन समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु उपाय करना।

Source: TH

विकास-उन्मुख राजकोषीय समेकन का स्तंभ के रूप में सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026–27 सरकार की विकास-उन्मुख राजकोषीय समेकन की प्राथमिकता को पुनः रेखांकित करता है, जिसमें राजकोषीय घाटे में कमी को सतत पूंजीगत व्यय और विनिवेश के साथ संतुलित किया गया है।

परिचय

- आर्थिक वृद्धि को माँग और निवेश को बनाए रखने हेतु राजकोषीय घाटे में कमी पर प्राथमिकता दी गई है।
- पूंजीगत व्यय और अवसंरचना निवेश को उनके उच्च विकास गुणक प्रभावों के कारण संरक्षित किया गया है।
- राजकोषीय घाटा FY26 में GDP का 4.4% और FY27 में 4.3% अनुमानित है, जो क्रमिक समेकन को दर्शाता है।

PSU विनिवेश क्या है?

- PSU विनिवेश उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) में अपनी स्वामित्व हिस्सेदारी को कम करती है।
- यह आंशिक बिक्री, रणनीतिक बिक्री, या सार्वजनिक हिस्सेदारी में वृद्धि के रूप में हो सकता है, जिसमें प्रबंधन नियंत्रण को बनाए रखना या हस्तांतरित करना शामिल हो सकता है।
- विनिवेश निजीकरण से भिन्न है, क्योंकि स्वामित्व और नियंत्रण अब भी सरकार के पास रह सकते हैं।
- **निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM):**
  - DIPAM वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है।
  - यह केंद्रीय सरकार के इक्विटी निवेशों के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों से निपटता है, जिसमें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) में इक्विटी का विनिवेश भी शामिल है।

CPSEs के विनिवेश के प्रकार

- **रणनीतिक विनिवेश:** इसका अर्थ है किसी CPSE में सरकार की संपूर्ण या पर्याप्त हिस्सेदारी की बिक्री, साथ ही प्रबंधन नियंत्रण का हस्तांतरण।
- **अल्पसंख्यक हिस्सेदारी बिक्री:** कुछ CPSEs में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना की जाती है, जो विभिन्न SEBI-स्वीकृत तरीकों जैसे *आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO)*, *बिक्री हेतु प्रस्ताव (OFS)* और शेयरों की *पुनः क्रय(Buyback)* आदि के माध्यम से होती है।

PSU विनिवेश के उद्देश्य

- गैर-कर राजस्व एकत्रित करना और उधारी पर निर्भरता कम करना।
- CPSEs में दक्षता, उत्पादकता और कॉर्पोरेट प्रशासन में सुधार करना।

- सरकार को सामाजिक और अवसंरचना क्षेत्रों की ओर संसाधनों का पुनः आवंटन करने में सक्षम बनाना।
- उत्पादक व्यय को कम किए बिना राजकोषीय समेकन का समर्थन करना।

PSU विनिवेश में चुनौतियाँ

- **बाज़ार-संबंधी बाधाएँ:** इक्विटी और ऋण बाज़ारों में अस्थिरता मूल्य निर्धारण एवं विनिवेश के उपयुक्त समय को प्रभावित करती है।
- **श्रम संबंधी चिंताएँ:** कर्मचारी संघों का विरोध रोजगार की हानि, वेतन पुनर्गठन और सामाजिक सुरक्षा के क्षरण की आशंकाओं से उत्पन्न होता है।
- **प्रक्रियात्मक विलंब:** लंबी अनुमोदन प्रक्रियाएँ, अंतर-मंत्रालयीय समन्वय समस्याएँ और मुकदमेबाज़ी क्रियान्वयन में देरी करती हैं।
- **क्षेत्र-विशिष्ट निवेशक सीमाएँ:** कुछ CPSEs ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं जहाँ लाभप्रदता कम है या उच्च नियमन है, जिससे निवेशकों की रुचि सीमित होती है।
  - **रणनीतिक विनिवेश की कठिनाई:** जहाँ दीर्घकालिक वाणिज्यिक व्यवहार्यता अनिश्चित होती है, वहाँ रणनीतिक विनिवेश कठिन हो जाता है।
- **CPSEs की परिचालन अक्षमताएँ:** लगातार कम प्रदर्शन, उच्च विरासत लागत और पुरानी तकनीक परिसंपत्तियों की आकर्षण क्षमता को कम करती हैं।

आगे की राह

- समयसीमा और तरीकों में पारदर्शिता निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएगी।
- विनिवेश से पूर्व बैलेंस शीट की सफाई, विरासत देनदारियों का समाधान और जनशक्ति का युक्तिकरण परिसंपत्तियों की आकर्षण क्षमता को सुधारेंगे।

Source: IE

रासायनिक उद्यान

समाचार में

- केंद्रीय बजट 2026–27 ने राज्यों को तीन समर्पित रासायनिक औद्योगिक पार्क स्थापित करने में सहायता हेतु एक नई योजना प्रस्तुत की है, जिसके लिए BE FY 2026–27 में 600 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।

रासायनिक औद्योगिक पार्क क्या हैं?

- रासायनिक औद्योगिक पार्क नियोजित औद्योगिक समूह हैं, जिन्हें विशेष रूप से रसायन और पेट्रो-रसायन निर्माण के लिए तैयार किया जाता है, जहाँ अनेक इकाइयाँ एक साथ कार्य करती हैं तथा विश्वस्तरीय अवसंरचना तथा सामान्य सेवाओं को साझा करती हैं।
- इन्हें क्लस्टर-आधारित, *प्लग-एंड-प्ले* विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है, जो सामान्य अवसंरचना और साझा सुविधाओं द्वारा समर्थित हैं।
- इनका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना, आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को बढ़ाना और रसायन क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम करना है।

महत्व

- भारत का रासायनिक उद्योग तेजी से क्लस्टर-आधारित, एकीकृत विकास की ओर अग्रसर है, जो प्लास्टिक पार्क, बल्क ड्रग पार्क और पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र (PCPIRs) की सफलता पर आधारित है।
- प्रस्तावित रासायनिक औद्योगिक पार्क इस मॉडल को संपूर्ण रासायनिक मूल्य श्रृंखला तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें *प्लग-एंड-प्ले* अवसंरचना, साझा उपयोगिताएँ, लॉजिस्टिक समर्थन और सुव्यवस्थित नियामक सुविधा उपलब्ध होगी।
- इन पार्कों से परियोजना समयसीमा और लागत में कमी, पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ, मूल्य श्रृंखला एकीकरण की सुदृढ़ता तथा पर्यावरण एवं सुरक्षा प्रबंधन में सुधार की अपेक्षा की जाती है।

भारत में रासायनिक उद्योग की स्थिति

- भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादक और एशिया में तीसरे स्थान पर है।
- भारत का रासायनिक उद्योग राष्ट्रीय GDP में लगभग 7 प्रतिशत का योगदान करता है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में उल्लेख है कि FY24 में विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन में रासायनिक क्षेत्र का योगदान 8.1 प्रतिशत रहा, साथ ही विगत दशक में उत्पादन में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई।

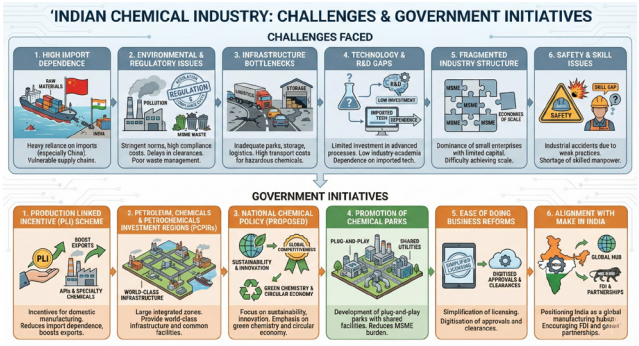

Source :PIB

भारत की वस्त्र मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026-27 में एक व्यापक और एकीकृत नीतिगत ढाँचे की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना है—रेशे से फैशन तक, ग्रामोद्योग से वैश्विक बाज़ार तक।
- वस्त्र क्षेत्र हेतु एकीकृत कार्यक्रम
- **उद्देश्य:** प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना और रोजगार सृजन करना।
  - यह पाँच उप-घटकों पर आधारित है:

भारत के वस्त्र उद्योग का अवलोकन

- **योगदान:** अनुमानित 179 अरब अमेरिकी डॉलर के आकार के साथ भारतीय वस्त्र एवं परिधान (T&A) उद्योग देश के GDP में लगभग 2% का योगदान करता है, विनिर्माण सकल मूल्य वर्धन (GVA) में लगभग 11% और निर्यात में 8.63% का योगदान करता है।
- **निर्यात टोकरी:** भारत T&A का विश्व का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका वैश्विक निर्यात में लगभग 4% हिस्सा है।
  - भारत का T&A (हस्तशिल्प सहित) निर्यात FY24 के 35.87 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर FY25 में 37.75 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया।
  - वर्ष 2025 में भारत के वस्त्र क्षेत्र ने 118 देशों और निर्यात गंतव्यों में निर्यात वृद्धि दर्ज की।
- **रोजगार:** कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा रोजगार जनक क्षेत्र है, जिसमें 4.5 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं।
  - आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 के अनुसार, वस्त्र उद्योग का 8 प्रमुख औद्योगिक समूहों में रोजगार में 9% हिस्सा है।
- **भविष्य की संभावनाएँ:** भारतीय वस्त्र बाज़ार वर्तमान में वैश्विक स्तर पर पाँचवें स्थान पर है, और सरकार आगामी पाँच वर्षों में इसकी वृद्धि दर को 15-20% तक तेज़ करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।

क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **खंडित संरचना:** मुख्यतः असंगठित और विकेन्द्रीकृत, विशेषकर पावरलूम एवं हैंडलूम क्षेत्रों में।
- **पुरानी मशीनरी:** कई इकाइयों में पुरानी मशीनरी के कारण कम उत्पादकता, निम्न गुणवत्ता उत्पादन और

वैश्विक प्रतिस्पर्धियों (जैसे चीन, बांग्लादेश) की तुलना में उच्च परिचालन लागत।

- **अपर्याप्त अवसंरचना:** कमजोर लॉजिस्टिक्स, विद्युत की कमी और उच्च विद्युत लागत।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** वस्त्र प्रसंस्करण जल और रसायन-प्रधान है।
  - पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन न करने से कारखानों का बंद होना और निर्यात प्रतिबंध लगना।
- **सख्त वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** बांग्लादेश, वियतनाम और चीन जैसे कम लागत वाले उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा।
  - भारत की उच्च उत्पादन और अनुपालन लागत निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करती है।
- **निर्यात माँग में उतार-चढ़ाव:** व्यापार अवरोध, वैश्विक आर्थिक मंदी और उपभोक्ता प्राथमिकताओं में बदलाव निर्यात को प्रभावित करते हैं।

सरकारी पहलें

- *मेक इन इंडिया* पहल ने प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपों, उन्नत अवसंरचना और प्रोत्साहनों के माध्यम से वस्त्र निर्माण एवं निर्यात को उत्प्रेरित किया है।
- **उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** मानव-निर्मित फाइबर (MMF) और तकनीकी वस्त्रों में विनिर्माण बढ़ाने हेतु।
  - बड़े पैमाने पर वस्त्र निर्माताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।
- **पीएम मित्रा (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क:** वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला जैसे कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान निर्माण, वस्त्र विनिर्माण, प्रसंस्करण एवं वस्त्र मशीनरी उद्योग हेतु एकीकृत बड़े पैमाने पर आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधाओं का विकास।
  - **वर्तमान स्थिति:** गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कुल 7 पार्क स्थापित।
- **संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS):** प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।
- **समर्थ योजना:** वस्त्र उद्योग में श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से।
- **वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (TCDS):** वर्तमान और संभावित वस्त्र इकाइयों/क्लस्टरों के लिए एकीकृत कार्यक्षेत्र एवं संपर्क-आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, जिससे उन्हें परिचालन तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके।
- **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (NTTM):** अनुसंधान, नवाचार एवं विकास; प्रचार एवं बाज़ार विकास; शिक्षा एवं कौशल विकास; तथा तकनीकी वस्त्रों में निर्यात संवर्धन पर केंद्रित, जिससे देश को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया जा सके।
- **सततता और परिपत्रता को बढ़ावा देने की पहल:** वस्त्र समिति, GeM और सार्वजनिक उपक्रमों के स्थायी सम्मेलन (SCOPE) के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य अपसाइकल्ड उत्पादों की सार्वजनिक खरीद को बढ़ावा देना और मुख्यधारा में लाना है।
- केंद्रीय बजट 2026-27 रोजगार सृजन, समावेशी विकास, सततता और वस्त्र मंत्रालय द्वारा नेतृत्व किए गए समन्वित क्रियान्वयन पर अधिक बल देता है, जिससे भारत की स्थिति एक प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय एवं दूरदर्शी वैश्विक वस्त्र एवं परिधान केंद्र के रूप में सुदृढ़ होती है।

निष्कर्ष

- *मेक इन इंडिया* पहल ने लक्षित नीतियों, अवसंरचना विकास और निवेश संवर्धन के माध्यम से वैश्विक वस्त्र निर्माण एवं निर्यात में भारत की स्थिति को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।
- निरंतर प्रयासों के साथ, भारत एक वैश्विक वस्त्र नेता बनने की दिशा में अग्रसर है, जो आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन को गति देगा।

Source: PIB

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को सुदृढ़ करना

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय का अनुमान ₹12.2 लाख करोड़ लगाया गया है, जो FY18 में ₹2.63 लाख करोड़ था।

केंद्रीय बजट 2026-27 में पूंजीगत वस्तु क्षेत्र हेतु प्रमुख घोषणाएँ

- ***सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में वृद्धि:*** *FY 2026–27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय ₹12.2 लाख करोड़ प्रस्तावित है, जो अवसंरचना-आधारित वृद्धि को सुदृढ़ करता है तथा परिवहन, ऊर्जा, शहरी अवसंरचना एवं उद्योग जैसे क्षेत्रों में पूंजीगत वस्तुओं की माँग को समर्थन देता है।*
- ***सटीक विनिर्माण हेतु हाई-टेक टूल रूम्स:*** *केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSEs) द्वारा दो स्थानों पर हाई-टेक टूल रूम्स की स्थापना, जो डिज़ाइन, परीक्षण और उच्च-सटीकता वाले घटकों के विनिर्माण हेतु डिजिटल रूप से सक्षम, स्वचालित सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।*
- ***निर्माण और अवसंरचना उपकरण (CIE) संवर्धन योजना:*** *उच्च-मूल्य, तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण और अवसंरचना उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करने हेतु एक समर्पित योजना का शुभारंभ।*
  - इसमें लिफ्ट, अग्निशमन प्रणाली, सुरंग-खोदने वाली मशीनें, मेट्रो और उच्च-ऊँचाई वाली सड़क परियोजनाओं हेतु मशीनरी शामिल है।
- ***कंटेनर विनिर्माण योजना:*** *पाँच वर्षों में ₹10,000 करोड़ की योजना का शुभारंभ, जिसका उद्देश्य भारत में वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना है।*
  - यह आयात पर निर्भरता कम करने और लॉजिस्टिक्स, व्यापार तथा बंदरगाह अवसंरचना को समर्थन देने का लक्ष्य रखती है।
- ***टोल विनिर्माण हेतु कर प्रोत्साहन:*** *बांडेड ज़ोन में कार्यरत टोल निर्माताओं को पूंजीगत वस्तुएँ, उपकरण या टूलिंग आपूर्ति करने वाली गैर-निवासी संस्थाओं को पाँच वर्षों के लिए आयकर छूट।*
  - इसका उद्देश्य पूंजी लागत को कम करना और भारत में अनुबंध विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- ***ऊर्जा संक्रमण हेतु समर्थन:*** *बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए लिथियम-आयन सेल निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क छूट का विस्तार।*
  - यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करता है।
- ***महत्त्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण:*** *भारत में महत्त्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट।*
  - इसका उद्देश्य घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण और ऊर्जा व संसाधन सुरक्षा को बढ़ाना है।
- ***PLI और प्रतिस्पर्धात्मकता योजनाओं के साथ निरंतर संरेखण:*** *बजट उपाय चल रही PLI योजनाओं और भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन योजना के द्वितीय चरण को पूरक करते हैं, जो प्रौद्योगिकी उन्नयन, परीक्षण अवसंरचना और कौशल विकास को समर्थन देते हैं।*

पूंजीगत वस्तुएँ क्या हैं?

- 'पूंजीगत वस्तुएँ' का अर्थ है कोई भी संयंत्र, मशीनरी, उपकरण या सहायक सामग्री जो वस्तुओं के निर्माण या उत्पादन अथवा सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक हो, जिसमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन या विस्तार हेतु आवश्यक वस्तुएँ भी शामिल हैं।
- इनका उपयोग विनिर्माण, खनन, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, पुष्पकृषि, उद्यानिकी, मछली पालन, पोल्ट्री, रेशम पालन और अंगूर उत्पादन के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में भी किया जा सकता है।

भारत में पूंजीगत वस्तुओं का महत्व

- ***औद्योगिक और विनिर्माण वृद्धि की नींव:*** *पूंजीगत वस्तुएँ इस्पात, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और वस्त्र जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण हेतु आवश्यक मशीनरी एवं उपकरण प्रदान करती हैं।*
  - FY26 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण GVA वृद्धि 9.13% तक तीव्र हुई, जिसमें पूंजीगत वस्तुओं की उपलब्धता और निवेश का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा।
- ***अवसंरचना विकास का चालक:*** *सड़कें, रेलमार्ग, बंदरगाह, विद्युत संयंत्र, मेट्रो और नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाएँ जैसे बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाएँ निर्माण उपकरण, विद्युत मशीनरी एवं भारी इंजीनियरिंग उत्पाद जैसी पूंजीगत वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भर हैं।*
- ***अर्थव्यवस्था पर मजबूत गुणक प्रभाव:*** *पूंजीगत वस्तु क्षेत्र का उच्च गुणक प्रभाव है, क्योंकि इस क्षेत्र में निवेश विनिर्माण, खनन, कृषि, सेवाएँ और लॉजिस्टिक्स में माँग को उत्प्रेरित करता है।*

- ***निवेश और आर्थिक गति का संकेतक:*** *पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन और आयात अर्थव्यवस्था में निवेश गतिविधि के बैरोमीटर माने जाते हैं। दिसंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में पूंजीगत वस्तुएँ 8.1% वार्षिक वृद्धि दर्ज की गईं।*
- ***निर्यात वृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन:*** *घरेलू पूंजीगत वस्तु क्षमता के विस्तार ने भारत के निर्यात प्रदर्शन को सुदृढ़ किया है। FY24 के ₹31,621 करोड़ से बढ़कर FY25 में पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात ₹33,356 करोड़ हो गया।*
  - सरकारी योजनाओं के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियाँ फ्रांस, बेल्जियम और क़तर में बाज़ार पा चुकी हैं, जो बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाती हैं।
- ***प्रौद्योगिकी उन्नति और नवाचार का सक्षमकर्ता:*** *पूंजीगत वस्तुएँ उच्च-सटीकता और उच्च-प्रौद्योगिकी विनिर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तथा उद्योग–शैक्षणिक सहयोग तथा स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करती हैं।*
- ***रोजगार सृजन का उत्प्रेरक:*** *पूंजीगत वस्तु विनिर्माण कौशल-प्रधान है, जो इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और अनुरक्षण में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करता है।*
  - पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित PLI योजनाओं ने सितंबर 2025 तक 12.6 लाख से अधिक रोजगारों में योगदान दिया है।
- ***ऊर्जा संक्रमण और राष्ट्रीय सुरक्षा में रणनीतिक भूमिका:*** *यह क्षेत्र भारत के ऊर्जा संक्रमण और महत्त्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को सक्षम बनाता है, जैसे:*
  - लिथियम-आयन बैटरियों और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों का निर्माण;
  - पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क छूट के माध्यम से महत्त्वपूर्ण खनिजों का प्रसंस्करण।

मुख्य समस्याएँ और चिंताएँ

- ***निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण की कमजोरी:*** *भारत में निजी निवेश और कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय असमान एवं सतर्क है, जो कुछ क्षेत्रों तक सीमित है, जबकि MSMEs को दीर्घकालिक वित्त तक सीमित पहुँच है।*
- ***वित्तपोषण बाधाएँ और पूंजी लागत:*** *उच्च उधारी लागत, दीर्घावधि वित्त की सीमित उपलब्धता और गहरे कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ारों के अभाव से पूंजी निवेश प्रभावित होता है।*
- ***अवसंरचना बाधाएँ और परियोजना विलंब:*** *भूमि अधिग्रहण चुनौतियाँ, पर्यावरणीय और नियामक स्वीकृतियाँ, अनुबंध प्रवर्तन में विलंब परियोजना लागत बढ़ाते हैं तथा निवेश दक्षता घटाते हैं।*
- ***कौशल अंतराल और उत्पादकता बाधाएँ:*** *पूंजी-प्रधान क्षेत्रों को अत्यधिक कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, किंतु भारत में उन्नत तकनीकी और 'नवयुगीन' कौशल की कमी है।*
- ***क्षेत्रीय और औद्योगिक असमानताएँ:*** *पूंजी निवेश कुछ राज्यों और शहरी केंद्रों में केंद्रित है, जबकि पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है। इससे असमान विकास और राष्ट्रीय क्षमता का अपर्याप्त उपयोग होता है।*
- ***आयात पर निर्भरता और बाहरी जोखिम:*** *भारत पूंजीगत वस्तुओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों के आयात पर निर्भर है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा एवं भारी इंजीनियरिंग में। इससे विनिमय दर अस्थिरता और भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ते हैं।*
- **सततता और पर्यावरणीय चिंताएँ:** बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश पर्यावरणीय क्षरण, अवसंरचना की कार्बन तीव्रता एवं परिसंपत्तियों की जलवायु सहनशीलता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है।
  - विकास और सततता के बीच संतुलन बनाए रखना एक प्रमुख नीतिगत चुनौती बनी हुई है।

निष्कर्ष

- भारत का पूंजीगत वस्तु क्षेत्र उसकी निवेश-आधारित विकास रणनीति का एक केंद्रीय स्तंभ बनकर उभर रहा है।
- यह क्षेत्र औद्योगिक क्षमता को सुदृढ़ कर रहा है, अवसंरचना निर्माण को तीव्र गति दे रहा है, और सतत सार्वजनिक निवेश, लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों तथा बजट 2026–27 की पहलों द्वारा समर्थित भारत की दीर्घकालिक आर्थिक गति एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ कर रहा है।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

लेक उर्मिया

समाचार में

- ईरानी अधिकारियों ने दशकों की सबसे भीषण सूखे की स्थिति के बीच लेक उर्मिया बेसिन पर कृत्रिम वर्षा कराने हेतु *क्लाउड सीडिंग* का सहारा लिया है।

लेक उर्मिया के बारे में

- यह ईरान के उत्तर-पश्चिमी अज़रबैजान क्षेत्र में स्थित है और पूर्व अज़रबैजान तथा पश्चिम अज़रबैजान प्रांतों के बीच फैला हुआ है।
- उच्च वाष्पीकरण दर इसे अत्यधिक लवणीय बनाती है।
- यह मध्य पूर्व की सबसे बड़ी झील है।
- इसे *रामसर आर्द्रभूमि* और *यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व* के रूप में नामित किया गया है।
- 1990 के दशक से यह झील गंभीर रूप से सिकुड़ गई है।

स्रोत: AIR

रफ़ा सीमा

समाचार में

- इज़राइल ने महीनों की बंदी के बाद ग़ाज़ा और मिस्र के बीच रफ़ा सीमा पार को सीमित नागरिक आवाजाही के लिए पुनः खोल दिया है।
  - यह सीमा मई 2024 में इज़राइली बलों द्वारा ग़ाज़ा पक्ष पर नियन्त्रण करने के बाद से अधिकांशतः बंद रही थी।

ग़ाज़ा के लिए रफ़ा का महत्व क्यों है?

- **अवस्थिति:** रफ़ा सीमा ग़ाज़ा–मिस्र सीमा पर स्थित है, जिसे 1979 के मिस्र–इज़राइल शांति संधि द्वारा मान्यता दी गई थी।
- **महत्त्व:** रफ़ा सीमा पार या रफ़ा क्रॉसिंग पॉइंट मिस्र और ग़ाज़ा पट्टी के बीच एकमात्र सीमा पार बिंदु है।

स्रोत: BBC

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त

संदर्भ

- मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया और युमनाम खेमेंचंद सिंह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

संविधान का अनुच्छेद 356

- अनुच्छेद 356 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जब किसी राज्य में शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकता, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
- यह सामान्यतः राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद होता है, जिसमें कहा जाता है कि राज्य की शासन प्रणाली विफल हो गई है।
  - राष्ट्रपति एक उद्घोषणा जारी करते हैं, जिससे राज्य सरकार के कार्य केंद्र को हस्तांतरित हो जाते हैं और राज्य विधानसभा की शक्तियाँ संसद को मिल जाती हैं।
  - न्यायपालिका, विशेषकर उच्च न्यायालय, बिना हस्तक्षेप के कार्य करती रहती है।
  - उद्घोषणा अधिकतम दो महीने तक मान्य रहती है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन आवश्यक होता है।
  - यदि अनुमोदन मिल जाता है, तो राष्ट्रपति शासन छह महीने तक चल सकता है और छह-छह महीने की अवधि में बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम तीन वर्षों तक।

भारत में राष्ट्रपति शासन

- संविधान अपनाए जाने के बाद से अनुच्छेद 356 का विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 130 से अधिक बार प्रयोग किया गया है।
- मणिपुर में राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक बार लगाया गया है।
- हालाँकि, कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अन्य की तुलना में अधिक समय तक केंद्रीय नियंत्रण में समय बिताया है।
  - उदाहरण के लिए, जम्मू-कश्मीर या पंजाब में राष्ट्रपति शासन कम बार लगाया गया, लेकिन

राजनीतिक अस्थिरता या सुरक्षा चिंताओं जैसी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण अवधि लंबी रही।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामला

- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक *एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ* मामले में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाए।
- निर्णय में यह स्थापित किया गया कि:
  - राष्ट्रपति का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
  - यदि यह अवैध, दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचारों पर आधारित पाया जाता है, तो न्यायालय राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर सकता है।
  - केवल राज्य विधानसभा निलंबित होगी, और कार्यपालिका तथा शासन की अन्य शाखाएँ तब तक जारी रहेंगी जब तक संसद उद्घोषणा को दो माह के अंदर अनुमोदित न कर दे।

आपातकालीन प्रावधान

- संविधान का अठारहवाँ भाग आपातकालीन प्रावधानों की चर्चा करता है।
- आपातकालीन प्रावधानों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:
  - अनुच्छेद 352, 353, 354, 358 और 359 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित हैं।
  - अनुच्छेद 355, 356 और 357 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित हैं।
  - अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है।

स्रोत: TH

FORGE पहल

समाचार में

- भारत ने वॉशिंगटन डीसी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित उद्घाटन *क्रिटिकल मिनरल्स मंत्रीस्तरीय सम्मेलन* में FORGE पहल के प्रति समर्थन व्यक्त किया है।

FORGE पहल क्या है?

- FORGE एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य समान विचारधारा वाले देशों को एक साथ लाकर वैश्विक महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को जोखिम-मुक्त करना है।
  - इसे *मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप (MSP)* के उत्तराधिकारी के रूप में बनाया गया है।
- इसका मूल विचार कुछ प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना, विश्वसनीय, पारदर्शी एवं लचीले महत्त्वपूर्ण खनिज पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

भारत का FORGE पहल के साथ संरेखण

- भारत FORGE को अपनी घरेलू पहलों के पूरक के रूप में देखता है, जैसे:
  - राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM)
  - रेयर अर्थ कॉरिडोर्स
  - वैश्विक सहयोग के साथ आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करना

भारत के लिए FORGE का महत्व

- आयात संबंधी कमजोरियों को कम करता है
- स्वच्छ ऊर्जा और ईवी लक्ष्यों को समर्थन देता है
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करता है
- अमेरिका और अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाता है

स्रोत: AIR

एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (APA)

संदर्भ

- केंद्रीय बजट 2026-27 ने आईटी सेवाओं के लिए *त्वरित एकपक्षीय एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (APA)* प्रक्रिया की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 2 वर्षों में पूर्ण करना है, साथ ही वैकल्पिक 6 महीने का विस्तार भी उपलब्ध है।

एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या है?

- APA एक बाध्यकारी समझौता है जो करदाता और कर प्रशासन के बीच होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के लिए एक निर्दिष्ट भविष्य अवधि हेतु *आर्म्स लेंथ प्राइस (ALP)* या मूल्य निर्धारण पद्धति पूर्वनिर्धारित की जाती है।

- **भारत में कानूनी ढाँचा:** भारत में APA व्यवस्था आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92CC और 92CD के अंतर्गत शुरू की गई थी।
  - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) APAs के प्रशासन हेतु सक्षम प्राधिकारी है।

APAs के प्रकार

- **एकपक्षीय APA:** केवल करदाता और उनके देश के कर प्राधिकरण के बीच समझौता।
- **द्विपक्षीय APA:** करदाता, भारतीय कर प्राधिकरण और संबंधित विदेशी देश के कर प्राधिकरण के बीच समझौता।
  - यह दोहरे कराधान से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **बहुपक्षीय APA:** जटिल, बहु-न्यायिक लेन-देन हेतु अनेक देशों और उनके कर प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है।

भारत के लिए APA का महत्व

- APAs लंबे समय तक चलने वाले कर मुकदमों को कम करने में सहायता करते हैं, जो विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ी चिंता रही है।
- ये एक गैर-प्रतिस्पर्धी कर व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, जो स्थिर और पूर्वानुमेय कराधान के भारत के उद्देश्य के अनुरूप है।
- APAs भारत के प्रयासों को समर्थन देते हैं, जिससे वह वैश्विक सेवाओं और डिजिटल अर्थव्यवस्था संचालन के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में स्थापित हो सके।

स्रोत: TOI

प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)

संदर्भ

- सरकार की पहल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) को बहुउद्देशीय संस्थाओं में परिवर्तित कर दिया है, जिससे कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों में ग्रामीण आर्थिक गतिविधि को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया गया है।

परिचय

- PACS अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की बुनियादी स्तर की इकाइयाँ हैं।
- यह राज्य सहकारी समितियों अधिनियम (या जहाँ लागू हो, बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002) के अंतर्गत पंजीकृत होती हैं।
- PACS सीधे ग्रामीण (कृषि) उधारकर्ताओं से जुड़ती हैं, उन्हें ऋण देती हैं, ऋण की वसूली करती हैं और वितरण एवं विपणन कार्य भी करती हैं।
- ये सहकारी ऋण संरचना में प्रमुख स्थान रखती हैं और इसका आधार बनाती हैं।
- यह अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है, जो एक ओर अंतिम उधारकर्ताओं और दूसरी ओर उच्च वित्तीय संस्थाओं—निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों तथा RBI/NABARD—को जोड़ती है।
- **मंत्रालय:** सहकारिता मंत्रालय।

PACS की संगठनात्मक संरचना

- **सामान्य निकाय:** बोर्ड और प्रबंधन पर नियंत्रण रखता है।
- **प्रबंधन समिति:** सामान्य निकाय द्वारा चुनी जाती है और समाज के नियमों, अधिनियमों एवं उपनियमों के अनुसार कार्य करती है।

स्रोत: PIB

सारस क्रेन जनगणना डेटा

समाचार में

- सरकारी जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की जनसंख्या एक वर्ष में 634 या 3.1% बढ़ गई है।

सारस क्रेन

- यह विश्व की सबसे ऊँची उड़ने वाली पक्षी है, जिसकी ऊँचाई 152-156 सेमी और पंखों का फैलाव 240 सेमी होता है।
- **स्वभाव:** यह एक सामाजिक जीव है, जो प्रायः जोड़े में या तीन-चार के छोटे समूहों में पाया जाता है। यह जीवनभर एक ही साथी के साथ प्रजनन करता है और इसका प्रजनन काल मानसून में भारी वर्षा के साथ सामंजस्यशील है।
- **आवास और वितरण:** सारस का आवास संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्राकृतिक आर्द्रभूमियों में होता है, जहाँ जल की गहराई कम होती है, आर्द्र और परती भूमि तथा कृषि क्षेत्र होते हैं।

- सारस क्रेन की तीन अलग-अलग जनसंख्या भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण-पूर्व एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है।
- भारतीय उपमहाद्वीप में यह उत्तरी और मध्य भारत, तराई नेपाल एवं पाकिस्तान में पाया जाता है।
- यह कभी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम के धान के खेतों में सामान्य दृश्य था।
- किंतु अब यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में केंद्रित है।

- **पारिस्थितिक भूमिका:** यह हानिकारक कीटों की जनसंख्या को नियंत्रित कर पारिस्थितिक संतुलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सांस्कृतिक महत्त्व भी है और यह सामाजिक भी है। सारस सर्वाहारी है, जो मछली और कीटों के साथ-साथ जड़ों एवं पौधों पर भी भोजन करता है।
- **संरक्षण स्थिति:** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध और IUCN रेड लिस्ट में *सुभेद्य (Vulnerable)* श्रेणी में।

स्रोत: HT

अभ्यास 'खंजर'

संदर्भ

- भारत–किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 'खंजर' का 13वाँ संस्करण असम के सोनितपुर ज़िले में आरंभ हुआ है।

परिचय

- अभ्यास 'खंजर' एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसे 2011 से भारत और किर्गिस्तान के बीच बारी-बारी से आयोजित किया जाता है।
  - विगत संस्करण मार्च 2025 में किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था।
- यह 14-दिवसीय सैन्य अभ्यास दोनों देशों की विशेष बलों के बीच पारस्परिक संचालन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, जिसमें शहरी युद्ध और आतंकवाद-रोधी परिदृश्यों में संयुक्त अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के अंतर्गत आते हैं।

स्रोत: AIR

भारत टैक्सी

संदर्भ

- गृह एवं सहकारिता मंत्री ने *भारत टैक्सी*, भारत का प्रथम सहकारी-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया।

भारत टैक्सी के बारे में

- भारत टैक्सी एक सहकारी-नेतृत्व वाला गतिशीलता प्लेटफ़ॉर्म है, जो *बहु-राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002* के अंतर्गत पंजीकृत है और 6 जून 2025 को स्थापित हुआ।
- इस पहल का उद्देश्य गतिशीलता क्षेत्र को रूपांतरित करना है, जिसमें चालकों (जिन्हें *सारथी* कहा जाता है) को स्वामित्व, संचालन और मूल्य सृजन के केंद्र में रखा गया है, तथा यह एग्रीगेटर-आधारित मॉडलों का विकल्प प्रदान करता है।
  - चालक अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर भी बिना किसी विशिष्टता शर्त के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं।
- यह प्लेटफ़ॉर्म *शून्य-कमीशन* और *सर्ज-फ्री* मूल्य निर्धारण मॉडल पर कार्य करता है, जिसमें लाभ सीधे चालकों के साथ साझा किए जाते हैं।
- यह चालक कल्याण को प्राथमिकता देता है, जिसमें स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और समर्पित सहायता प्रणालियाँ जैसी सामाजिक सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
- तीन लाख से अधिक चालक और एक लाख से अधिक उपयोगकर्ता पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। भारत टैक्सी का लक्ष्य आगामी दो वर्षों में पूरे भारत के सभी राज्यों एवं शहरों में विस्तार करना है।

स्रोत: TH

■■■■